वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 254

जिसका उत्तर मंगलवार, 4 फरवरी, 2025/15 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बंद किए गए खाते

254. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत कितने खाते हैं तथा इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कितने प्रतिशत खाते बंद किए जा चुके हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहकों की स्पष्ट सहमति के बिना खाते खोले गए हैं, और यदि हां, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) ग्राहकों द्वारा वित्तीय बाधाओं या रिटर्न से असंतुष्टि के कारणों के अलावा इस योजना को बंद करने के अन्य क्या कारण हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार भागीदारी बढ़ाने तथा निश्चित रिटर्न और मुद्रास्फीति से संबंधित चिंताओं को दूर करन के लिए इस योजना के डिजाइन की समीक्षा और संशोधन करने की योजना बना रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार, शुरुआत से ही एपीवाई के अंतर्गत नामांकन 7,25,77,540 हैं और बंद खाते 1,11,56,787 हैं। एपीवाई खातों की कुल संख्या और उसके प्रतिशत का राज्य-वार, ब्यौरा जो योजना के शुरुआत से ही बंद कर दिये गए हैं अनुबंध क में दिया गया है।

(ख) एपीवाई के अंतर्गत, अभिदाता एकल-पृष्ठ अभिदाता पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से अनुरोध करता है जिसमें उसे बचत खाता ब्यौरा, व्यक्तिगत ब्यौरा और पेंशन ब्यौरा (पेंशन की राशि और अभिदान की आवृत्ति) का उल्लेख करना होता है तथा आयु और चयनित पेंशन राशि के आधार पर यथा प्रयोज्य बैंक को एपीवाई के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु तक बैंक खाता से डेबिट करने के लिए प्राधिकृत करना होता है।

(ग) एपीवाई खाते को बंद करने के समय अभिदाताओं को खाता बंद करने का कारण बताना पड़ता है। खाता बंद करने के लिए अभिदाताओं द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख कारण अभिदान की राशि अदा कर पाने में असमर्थता और निधि की तत्काल आवश्यकता है।

दिनांक 31.12. 2024 की स्थिति के अनुसार, शुरुआत से ही प्रतिलाभ 9% से अधिक है।

(घ) एपीवाई के अंतर्गत सहभागिता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वैसे प्रत्येक पात्र अभिदाता के लिए 5 वर्ष की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक कुल अभिदान का 50% अथवा 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, सहअंशदान किया गया है जो दिनांक 31.03. 2016 से पहले योजना में शामिल हुए थे और जो न तो किसी भी सांविधिक सुरक्षा योजना के सदस्य थे और न ही आयकर दाता थे।

इसके अतिरिक्त, योजना का मूल्यांकन किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि दिनांक 01.10.2022 से योजना को बेहतर तरीक से लक्षित करने के लिए आयकर दाता एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं है।

एपीवाई एक निर्धारित लाभ योजना है और यह अभिदाताओं के लिए निर्धारित न्यूनतम पेंशन गारंटी प्रदान करता है। इस प्रकार, सरकार निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के लिए गैप को कवर करने हेतु अर्थक्षम निधीयन सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक इसके लिए बजट प्रावधान 1,084 रुपये है।

एपीवाई के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप किए गए हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित शामिल हैः-

i. जागरूकता फैलाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में आवर्ती विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।
ii. पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर मूर्त एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम और टाउनहॉल बैठकों का आयोजन किया जाता है।
iii. कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) और बैंकों के फील्ड स्टॉफ, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों, राज्य स्तरीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की बैंक सखी के लिए वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों तक एपीवाई का प्रचार किया जा सके।
iv. जागरुकता फैलाने और एपीवाई का कवरेज करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता केंद्र (एनसीएफई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और एसएलआरएम को काम पर रखना।

अनुबंध क

" एपीवाई के अंतर्गत बंद किए गए खाते " के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने को नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 254

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) खातों की कुल संख्या और प्रतिशत राज्य-वार जो योजना की शुरुआत के बाद से बंद कर दिए गए हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार नामांकित	दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार बंद खाते	नामांकन की तुलना में बंद खाते का अनुपात (%)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24,342	3,124	12.83%
2	आंध्र प्रदेश	37,87,818	6,58,234	17.38%
3	अरुणाचल प्रदेश	97,073	14,235	14.66%
4	असम	17,24,187	1,76,784	10.25%
5	बिहार	69,62,850	9,91,693	14.24%
6	चंडीगढ़	1,22,403	20,062	16.39%
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,49,584	21,866	14.62%
8	दिल्ली	11,53,225	1,96,290	17.02%
9	गोवा	1,95,738	25,309	12.93%
10	गुजरात	26,30,510	3,66,853	13.95%
11	हरियाणा	15,13,197	2,84,116	18.78%
12	हिमाचल प्रदेश	5,26,074	78,913	15.00%
13	जम्मू और कश्मीर	2,15,433	32,502	15.09%
14	कर्नाटक	37,77,067	5,09,363	13.49%
15	केरल	12,98,686	1,79,264	13.80%
16	लक्षद्वीप	7,877	1,012	12.85%
17	मध्य प्रदेश	43,21,322	7,38,400	17.09%
18	महाराष्ट्र	57,77,185	7,91,244	13.70%
19	मणिपुर	1,26,832	11,396	8.99%
20	मेघालय	1,27,659	12,905	10.11%
21	मिजोरम	50,402	5,309	10.53%
22	नागालैंड	1,47,422	20,339	13.80%
23	ओडिशा	26,78,743	3,13,976	11.72%
24	पुडुचेरी	96,080	12,523	13.03%
25	पंजाब	20,29,008	4,13,851	20.40%
26	राजस्थान	39,36,814	5,71,030	14.50%
27	सिक्किम	2,69,717	34,156	12.66%
28	तमिलनाडु	48,61,711	6,64,736	13.67%
29	त्रिपुरा	2,79,254	22,296	7.98%
30	उत्तर प्रदेश	1,16,95,458	22,51,117	19.25%
31	पश्चिम बंगाल	55,77,083	9,05,093	16.23%
32	छत्तीसगढ़	15,06,803	1,68,765	11.20%
33	उत्तराखंड	7,53,748	1,37,976	18.31%
34	झारखंड	22,42,292	2,94,917	13.15%
35	तेलंगाना	19,02,118	2,25,983	11.88%
36	लद्दाख	5,635	554	9.83%
37	अन्य	6,190	601	9.71%
कुल योग		**7,25,77,540**	**1,11,56,787**	**15.37%**

स्रोत: पीएफआरडीए